

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(2)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक

26 JUN 2018

-:अधिसूचना:-

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, मुख्यालय से बाहर सृजित एवं स्थापित निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में वर्णित क्षेत्राधिकार के लिये उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के संबंध में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	न्यायक्षेत्र	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या 2, किशनगढ	अजमेर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या 2, केकडी	अजमेर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, मुण्डावर	अलवर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या 2, राजगढ	चूरु	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
5	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या 2, बाँदीकुई	दौसा	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
6	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, घडसाना	श्रीगंगानगर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
7	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या 2, कोटपूतली	जयपुर जिला	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
8	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या 3, कोटपूतली	जयपुर जिला	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
9	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या 2, साँभरलेक	जयपुर जिला	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने

			वाले प्रकरण
10	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, दूद	जयपुर जिला	स्थानीय क्षेत्राधिकार
11	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, पोकरण	जैसलमेर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
12	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या 2, परबतसर	मेडता	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण

राज्यपाल के आदेश से,

प्रमुख शासन सचिव

(Handwritten Signature)
26/6/18

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक: सामान्य/11/9/2018/ 8/3

दिनांक: 29/06/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर, (रजिस्ट्रार सीपीसी, रा.उ.न्या. जयपुर को वास्ते अपलोड करने उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर)
2. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश
3. संबंधित न्यायालय
4. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
5. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय/ रा.न्या.से.(स्था.शाखा)/अधीनस्थ न्यायालय(स्था.शाखा)/ बजट/ भवन/ सांख्यिकी, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

(Handwritten Signature)
29.6.18
रजिस्ट्रार (नियम)